उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्या–101/XI(1)/2017–50(25)2017
देहरादून, दिनांकः 11 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–आदेश

शासन के आदेश संख्या–572/XI/10/53(30)2004 दिनांक 03.05.2010 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग का संरचनात्मक ढांचा पुर्नगठित किया गया, जिसमें अन्य पदों के साथ–साथ परियोजना निदेशक के 13 पद स्वीकृत करते हुए इन्हें खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गयी। खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के ढांचें में परियोजना निदेशक के पदों को सम्मिलित किये जाने का जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) के कार्मिकों द्वारा इस आशय से विरोध किया जाता रहा है कि परियोजना निदेशक के पद डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के लिए निर्धारित हैं। अतः अभिकरण के पदों पर उनका अधिकार पहले बनता है। इस विरोध स्वरूप सिविल अपील संख्या–12737–38/2017 (एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या– 21970–21971/2015) दीपक सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.09.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गयेः–

".....We need not go into controversy as we find from the impugned order that the state Government is reconsidering the matter of the cadre structuring.

we direct the State Government to take a decision in the matter pending consideration within a period of three months from today. Till the decision is taken by the state, status qou will continue. Needless to say that if any person is aggrieved by the decision which may be taken by the state Government, it will be open to such person to take appropriate remedy in accordance with law....."

2– मा0 उच्चतम् न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 30 अक्टूबर, .2017 को पूर्वान्ह् 10.30 बजे याची सहित दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान परियोजना अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि एवं मुख्य याची श्री दीपक रावत द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि परियोजना निदेशक/सहायक परियोजना निदेशक के पद डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के लिए निर्धारित हैं। अतः अभिकरण के पदों पर उनका अधिकार पहले बनता है। इसलिए परियोजना निदेशक के पदों पर डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए।

प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग (खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग) के प्रतिनिधि श्री भरत चन्द्र भट्ट द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि परियोजना निदेशक के पद 1992 से ही प्रादेशिक विकास सेवा के अधिकारियों से भरे जाते रहे हैं। आदेश दिनांक 17 मार्च, 1994 में भी प्राविधान है कि परियोजना निदेशक के पद को पी.सी.एस. अधिकारियों तथा जिला विकास अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। उक्त के अतिरिक्त रिट संख्या–363/2014 सरदार सिंह चौहान बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि परियोजना निदेशक के पद पर केवल पी.डी.एस.(प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के अधिकारियों को ही नियुक्ति दी जा सकती है

क्रमशः.....2

u-o letter

तथा प्रादेशिक सेवा नियमावली, 2011 में भी परियोजना निदेशक पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधान है कि केवल पी.डी.एस. कैडर के उन्हीं जिला विकास अधिकारियों/सहायक आयुक्त/सहायक परियोजना निदेशक को परियोजना निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जायेगा, जिन्होंने इस रूप में 03 वर्ष की सेवा तथा कुल 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

3– उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास विभाग के अर्न्तगत मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदनोपरान्त् वर्ष 2010 में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग (प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग) के ढॉचे का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहायक परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त एवं अपर आयुक्त के पद सम्मिलित हैं। ढॉचा पुनर्गठन के उपरान्त् वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली–2011 प्रख्यापित की गयी। उक्त सेवा नियमावली के प्रस्तर–5 (3) में परियोजना निदेशक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला विकास अधिकारियों/सहायक आयुक्त/सहायक परियोजना निदेशकों से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा एवं कुल 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग का कथन बलयुक्त पाया गया।

4– स्पष्ट करना है कि परियोजना अर्थशास्त्री एवं सहायक अभियन्ता का पद खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग का संवर्गीय पद नहीं है। परियोजना अर्थशास्त्री एवं परियोजना निदेशक के भर्ती के स्रोत एवं कार्य–दायित्वों में भी अन्तर है। खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित परियोजना निदेशक का कार्य डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से संचालित होने वाली समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निरीक्षण, अनुश्रवण करना है और उक्त योजनाओं को डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के माध्यम से सफलता पूर्वक संचालित कराना है, जबकि परियोजना अर्थशास्त्री का कार्य उक्त योजनाओं के आंकडों का संकलन करना, योजनाओं की प्रगति रिर्पोट तैयार करना, परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना एवं उपरोक्त सभी कार्यों को परियेाजना निदेशक के संज्ञान में लाना है और उनके निर्देशों का अनुपालन करना है। परियोजना निदेशक पद पर पदोन्नति खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के ऐसे अधिकारियों में से होती है जिसे 13 वर्ष का अनुभव होता है और लोक सेवा आयेाग के माध्यम से चयनित होता है। परियोजना अर्थशास्त्री का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से हुआ है।

5– उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली, 1975 में विभागीय ढांचें का गठन/पुनर्गठन का अधिकार मा0 मंत्रिमण्डल में निहित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अर्न्तगत राज्य सरकार को राज्याधीन सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा–शर्तों के विनियमित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन्हीं क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत प्रशासकीय विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के ढांचें का पुनर्गठन एवं तद्विषयक प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी। नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी लाभ (पदोन्नति आदि) भी दिये जा चुके हैं। इस तथ्य का उल्लेख मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका का प्रतिवाद करते

क्रमशः.....3

हुए राज्य सरकार की ओर से दायर प्रतिशपथ पत्र में भी किया गया है। यह भी स्पष्ट करना है कि मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के उपरान्त विभागीय परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1037/XI/15 दिनांक 26 मई, 2015 के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कार्मिकों का राजकीयकरण करते हुए उनकी सेवाओं को ग्राम्य विकास विभाग के अधीन "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" में समाहित कर दिया गया है तथा प्रकोष्ठ में सृजित पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए प्रकोष्ठ में तैनात कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने पर रिक्त पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की आवश्यकतानुसार ग्राम्य विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग हेतु प्रख्यापित उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 में परियोजना निदेशक का पद खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग से भरे जाने की व्यवस्था है साथ ही पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में भी परियोजना निदेशक के पद हेतु यही व्यवस्था विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सम्यक् रूप से पुनर्विचार करते हुए खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के ढांचें तथा प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 में पुनर्गठन किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत खण्ड विकास अधिकारी (प्रादेशिक विकास) सेवा संवर्ग के वर्तमान ढांचे एवं तद्विषयक प्रख्यापित उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 को पूर्व की भांति यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 101/रि/ /XI(1)/17/50(25)2017/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौडी।
2. श्री दीपक रावत, परियोजना अर्थशास्त्री, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पौडी गढवाल को उनके दिनांक रहित प्रत्यावेदन संख्या–154/देहरादून/2017–18 के क्रम में।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।